म0प्र0 शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भोपाल– भोपाल–462004

क्रमांक / डी–17 / 16 / 2018 / 14–3 भोपाल,दिनांक 24 जनवरी, 2019

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग,
भोपाल ।

विषयः– जय किसान फसल ऋण माफी योजना में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (PACS) द्वारा अथवा सहकारी बैंकों द्वारा दी गई फसल ऋण की सूची में नाम आने पर संबंधित किसान द्वारा फसल ऋण नहीं लिए जाने अथवा कम फसल ऋण लिए जाने के आवेदन की स्थिति में कार्यवाही विषयक ।

जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत नियत कट ऑफ डेट के बकायादार (Regular outstanding loan अथवा कालातीत loan) किसानों की सूची ग्राम पंचायतों में दिनांक 15 जनवरी, 2019 से चस्पा करने की कार्यवाही की जा रही है । कतिपय स्थानों पर यह संज्ञान में आया है कि चस्पा सूची में कट ऑफ डेट की स्थिति में Regular outstanding loan अथवा कालातीत loan के रूप में हरी / सफेद सूची में किसानों के नाम पर फसल ऋण दर्ज है । आवेदन पत्र भरते समय ग्राम पंचायत में चस्पा सूची में ऋण खातों में दर्शित फसल ऋण की राशि पर किसानों का यह कथन है कि उनके द्वारा फसल ऋण लिया ही नहीं गया अथवा दर्शित राशि से काफी कम राशि का फसल ऋण लिया गया है। इससे यह आभास होता है कि कतिपय प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (PACS) में किसानों की बिना जानकारी फर्जी प्रकरण बनाकर फसल ऋण के नाम पर राशि गबन के प्रयास हुए हैं । ऐसे प्रकरण गम्भीर अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा ऐसे प्रकरणों में सहकारिता अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान की धाराओं में समस्त दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाना अपेक्षित है ।

2 / ऐसे प्रकरणों में जहाँ Regular outstanding loan अथवा कालातीत loan के रूप में फसल ऋण की प्रदर्शित हरी / सफेद सूची में अंकित राशि अधिक है अथवा किसान द्वारा गुलाबी आवेदन पत्र भरते समय उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा फसल ऋण लिया ही नहीं गया है ऐसे प्रकरणों में यह आवश्यक है कि जनपद पंचायतों में आवेदन पत्रों के डाटा पोर्टल पर इन्द्राज होने उपरान्त बैंक शाखाओं में Secured login ऋण खातों की जानकारी की पुष्टि करते समय आवश्यक एहतियाद बरती जावे तथा सूक्ष्मता से परीक्षण किया जावे । दिनांक 05 फरवरी, 2019 (आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि) उपरान्त इस प्रकार के संभावित फर्जी फसल ऋणों की जानकारी समस्त जिलों से प्राप्त कर ऐसे समस्त प्रकरणों की जाँच की प्रकिया तथा समय सीमा नियत किया जाना उचित होगा । जाँच में फर्जी फसल ऋण का मामला होने पर ऐसे प्रकरणों में विधिवत सक्षम अनुशासनात्मक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध है।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

.....2 /

डी-17/16

पृ0कमांक / ~~डी-16/56~~ / 2018 / 14-3 भोपाल,दिनांक 24 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि :-

01. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
02. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल ।
04. श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव वित्त सह आयुक्त, संस्थागत वित्त संचालनालय, भोपाल ।
05. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
06. आयुक्त सह पंजीयक, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, भोपाल ।
07. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय, भोपाल ।
08. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

~~प्रमुख सचिव~~
24/1/19
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग